न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/4454/2002/करौली

1– मीरखां उर्फ बन्दर पुत्र काश्म मृतक जरिए वारिसानः–

1/1– मोठा पुत्र मीरखां

1/2– जब्बार पुत्र मीरखां

1/3– समद पुत्र मीरखां

1/4– कलाम पुत्र मीरखां

1/5– हसीना पुत्री मीरखां

1/6– फातमा पुत्री मीरखां

2– सत्तार पुत्र शहजाद

3– गफार पुत्र शहजाद

समस्त जाति मुसलमान निवासी लहचौड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली।

–अपीलांटस

बनाम

1– अल्लानूर पुत्र चिरमोली जाति मुसलमान निवासी लहचौड़ा (गद्दीपट्टी) तहसील हिण्डौन जिला करौली।

2– कलुआ पुत्र बुद्धी

3– रजाक पुत्र बुद्धी

4– कमरूद्दीन पुत्र सम्पत

5– गुलामनवी पुत्री महरअली

6– लियाकतअली पुत्र महरअली

7– अब्दुलगनी पुत्र धम्माली

8– प्यारे खां पुत्र उमेदा

9– अजीजखां पुत्र याकूब

10– इब्राहिम पुत्र याकूब खां

11– सफायतअली पुत्र महरअली

समस्त जाति मुसलमान निवासी लहचौड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली।

12– राजस्थान सरकार।

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः—

श्री यज्ञदत्त शर्मा के ब्रीफ होल्डर श्री अभिषेक शर्मा, अधिवक्ता अपीलांटस

श्री उमेश कुमार, अधिवक्ता रेस्पो0संख्या 1

शेष रेस्पो0 बावजूद सूचना के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 13.06.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा अपील संख्या 60/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 अल्लानूर द्वारा एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 89 राज0काश्त0अधि0, 1955 के तहत न्यायालय उपजिला कलक्टर, हिण्डौन के न्यायालय में विरूद्ध अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 12 के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 781 साबिक रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा वाकै ग्राम लहचौड़ा तहसील हिण्डौन में स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी की 1/4 हिस्से की खातेदारी है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने जमाबंदी संवत् 2030 में सहवन से काश्म पुत्र अल्लानूर 1/4 हिस्से का खातेदार दर्ज कर दिया जबकि अल्लानूर पुत्र चिरमोली एवं काश्त पुत्र अकबर 1/4 हिस्सा दर्ज करना चाहिए था। अतः वादी का वाद डिक्री किया जावें। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वाद कथनों से इंकार किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 03—04—2002 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश

की जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2002 द्वारा अपील को स्वीकार कर वाद डिक्री कर दिया । राजस्व अपील प्राधिकारी के उक्त आक्षेपित निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस/प्रतिवादीगण द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3— हमनें उपभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4— अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं कर आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों खसरा गिरदावरी संवत् 2008—11, खसरा गिरदावरी 2031—34, जमाबंदी संवत् 2030—33 तथा 2034—37 पर्चा सेटलमेंट से पूर्णतः साबित है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की खातेदारी की आराजी है एवं विपक्षी द्वारा यह साबित नहीं किया गया कि वादग्रस्त आराजी से उसका क्या संबंध है तथा वादी अपना लोकस सिद्ध नहीं कर पाया। वादी किसी भी दस्तावेज से साबित नहीं कर पाया कि वादग्रस्त आराजी पर उसे किस आधार पर खातेदारी दी जावें । विद्वान अधी0न्याया0 ने वादी द्वारा अपना वाद साबित नहीं किए जाने से विधिवत् रूप से वादी का वाद निरस्त किया है जिसमें अपीलीय न्यायालय ने हस्तक्षेप कर त्रुटि कारित की है। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादग्रस्त आराजी काश्म पुत्र अकबर की खातेदारी की आराजी है लेकिन सहवन से काश्म के पिता की वल्दियत अकबर के स्थान पर अल्लानूर गलत अंकित होने से विपक्षी संख्या 1 वादी के मन में बदनियती आ गई है तथा इस गलत वल्दियत का फायदा उठाकर वादी ने दावा किया है। वादी क्लीन हैण्ड से नहीं आया है एवं वादी यह भी साबित नहीं कर पाया कि काश्म से उसका क्या संबंध है। विचारण न्यायालय ने विधिवत् रूप से तनकीयात कायम कर उन पर विवेचन कर निर्णय पारित किया है किन्तु अपीलीय न्यायालय ने तनकीवार निर्णय किए बिना विपक्षी संख्या 1 की अपील स्वीकार की है जबकि विचारण न्यायालय के निर्णय को रिवर्स करने पर तनकीवार निर्णय पारित करना आवश्यक है। अपीलीय न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–07–2002 निरस्त किया जावें तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.04.2002 बहाल रखा जावें।

5– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । बहस में आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में अपीलांट व रेस्पो0 की सहखातेदारी की आराजी है, जिसमें रेस्पो0 का 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्सा है जो पुश्तैनी काश्त की आराजी है तथा बुर्जुगों से प्राप्त हुई है। संवत् 2026–29 की खातेदारी में रेस्पो0 रिकॉर्डेड खातेदार है किन्तु संवत् 2030–33 की खतौनी में काश्म का पिता अल्लानूर कर दिया जबकि काश्म के पिता का नाम अकबर है तथा अल्लानूर के पिता का नाम चिरमोली है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा काश्म के मरने के बाद अपीलांट के पुत्रों के नाम इन्द्राज कर दिया है तथा रेस्पो0 का हिस्सा समाप्त कर दिया जाता है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विवेचन एवं विश्लेषण किए बिना ही निर्णय पारित किया था, जिसे अपास्त कर अपीलीय न्यायालय ने विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावें।

6– हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय उपजिला कलेक्टर, हिण्डौन के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 सं0 1/वादी अल्लानूर पुत्र चिरमोली द्वारा वर्तमान अपीलांटस एवं शेष रेस्पो0/प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद संख्या 132/1991 बउनवानी अल्लानूर बनाम मीरखां व अन्य पेश किया गया । उक्त वाद में विचारण न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर कुल 7 तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 03.04.2002 के द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद निरस्त किया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर वादी/रेस्पो0 1 द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश किये जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर ने अपने निर्णय व

डिक्री दिनांक 30.07.2002 के द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 की अपील स्वीकार कर उपजिला कलेक्टर, हिण्डौन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर वादी का वाद डिक्री कर दिया ।

8— इस संबंध में हमनें विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णयों का विधि के परिपेक्ष्य में अवलोकन एवं परिशीलन किया। विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा दावा, जवाबदावा के आधार पर नियमानुसार दादरसी सहित 7 तनकीयात कायम करने के उपरांत निर्णय व डिक्री पारित किया गया है । उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश के माध्यम से विचारण न्यायालय से भिन्न मत रखते हुए अपील को स्वीकार किया गया है । अपीलीय न्यायालय के आक्षेपित निर्णय व डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा तनकीवार पारित निर्णय को उलट कर वादीगण का वाद डिक्री किया है, किन्तु उनके द्वारा निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया गया है, जो सिविल प्रंक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के आज्ञापक प्रावधानों का स्पष्टतया उल्लघंन है। इस संबंध सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 में निम्न प्रावधान किया गया है कि—

<u>O-41 R-31</u>- Contents, date and signature of judgment. The judgment of the Appellate Court shall be in writing and shall state-

(a) the points for determination;
(b) the decision thereon;
(c) the reasons for the decision; and
(d) where the decree appealed from is reversed of varied, the relief to which the appellant is entitled;

and shall at the time that it is pronounced, be signed and dated by the Judge or by the Judge concurring therein.

9— सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 में यह आज्ञापक प्रावधान प्रावधित किया हुआ है कि यदि अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विपरीत निर्णय पारित करता है तो उसे प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट अभिमत एवं निष्कर्ष अंकित करना अनिवार्य है । प्रकरण में चूंकि अपीलीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया जाना प्रकट होता है । इसके अतिरिक्त अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों का

विवेचन और परीक्षण करते हुए भी निर्णय पारित नहीं किया है । ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है।

11— परिणामतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30—07—2002 निरस्त किया जाकर प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय के पैरा संख्या 8 व 9 में अंकित तथ्यों के अनुसरण में उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिक प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का विवेचन और परीक्षण करते हुए न्यायोचित निर्णय पारित करे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष